गोआ राज्य

बनाम

मैसर्स ए.एच.जफ्फर एण्ड सन्स एवं अन्य

2001 की सिविल अपील संख्या 2536

मार्च 26, 2008

(डा. अरिजित पसायत एवं पी. सथसिवम, न्यायाधिपतिगण)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम 1960, धारा 54)

खनन पट्टा अनुदान- प्राधिकारीगण के आदेश को चुनौती अपील दायर करके दी गई- अपील के लंबन के दौरान रिट याचिका दायर-उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकारीगण को गुणावगुण के आधार पर पट्टा अनुदान के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के निर्देश-इसकी शुद्धता-अवधारित, गलत-उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में असफल रहा कि जब उसके द्वारा रिट याचिका का निस्तारण किया जा रहा था, उसके पूर्व ही उच्चतम न्यायालय समान पक्षों के बीच समान मुद्दों पर लंबित मामला निर्णित कर चुका था। एक बार जब अंतरपक्षीय निर्णय अंतिम रूप ले लेता है तो कोई भिन्न मत नहीं लिया जा सकता। अतः उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त किया गया और उक्त आदेश के पैरा 3 में दिये गये निर्देश, जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, लागु होंगे-निर्देश जारी-

प्रशासनिक आदेश-पुर्नविलोकन-अवधारितः राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।

प्रत्यर्थीगण ने बोम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी प्राधिकारीगण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने एवं स्वयं के पक्ष में किसी निश्चित ऐरिया में खनन पट्टा जारी करने के निर्देशों हेतु रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इस मुद्दे पर मामला पिछले सोलह वर्ष से लंबित था तथा अधिकारियों ने मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया इसलिए प्रत्यर्थीगण को बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण की खनन पट्टा अनुदान के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने के निर्देश दिये। अतः यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलकर्ता राज्य ने तर्क दिया कि वर्तमान अपील में इन्हीं पक्षकारों के मध्य समान प्रकृति का विवाद गोवा राज्य बनाम मैसर्स ए.एच.जफ्फर एण्ड सन्स ए.आई.आर.(1995) एससी 333 में इस न्यायालय के समक्ष था और जो पक्षकारों के मध्य अंतिम रूप ले चुका है, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय विवादित निर्देश जारी नहीं कर सकता था।

प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि इस प्रकरण की इस न्यायालय द्वारा सुनवाई से बहुत पहले आदेश दिनांक 30 जून, 2000 की तामील प्रत्यर्थीगण पर दिनांक 3 जुलाई, 2000 को हो चुकी थी और उन्होंने धारा 30 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 सपठित नियम 54, खनिज रियायत नियम 1960 के निबंधनों के तहत रिवीजनल ट्रिब्यूनल ऑफ द सेन्ट्ल गवरमेंट का रूख किया था। आर.टी.सी.जी. ने अंतिम आदेश दिनांक 13.05.2002 द्वारा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में मामला तय कर दिया है।

न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1- इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण न्यायाधिकरण के समक्ष अपने उपचार का प्रयास किया। यह निश्चित रूप से उचित व वांछनीय नहीं था। इस दुर्बलता को ओर बढ़ाने के लिये यह ध्यान देने की जरूरत है कि रिट याचिका जो यद्यपि सन् 1993 में दायर की गई थी, एक मार्च 2000 को निस्तारित हो चुकी थी और उस समय तक समान पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती मामला एक निश्चित तरीके से निर्णित हो चुका था। उच्च न्यायालय ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार अन्तपक्षकारों के मध्य निर्णय पारित हो जाता है व अंतिमता प्राप्त कर लेता है तो भिन्न मत नहीं लिया जा सकता। विशेष रूप से जब इस न्यायालय के आदेश से अंतिमता प्राप्त हो। (पैरा-6) (520-जी-एचय 521-ए)

गोवा राज्य बनाम मैसर्स ए.एच.जाफ्र एण्ड संस ए.आई.आर.(1995) एससी 333 उद्धरित

1.2. इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है तथा जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है, पूर्ववर्ती निर्णय के अनुच्छेद 3 में निहित निर्देश लागु होंगे। वर्तमान विवाद में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील क्रमांक 2536/2001

रिट याचिका क्रमांक 41 ऑफ 1993 में बोम्बे उच्च न्यायालय, गोआ पीठ के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 01.03.2000 से।

एच.एल.अग्रवाल, भवानीशंकर वी. गाडनिक एवं बी. सुनीता राव अपीलार्थी की ओर से।

अनीस सुहरावर्दी, शमामा अनीस, एस मेहदी इमाम और तबरेज अहमद प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया- डा.अरिजित पसायत, न्यायाधिपति

1. प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका नंबर 41/93 में बम्बई उच्च न्यायालय, गोआ पीठ की खण्ड़पीठ के निर्णय को अपील में चुनौती दी गई है।

रिट याचिका क्रमांक 41/93 खान व श्रम निदेशालय के आदेश दिनांक 3 जनवरी, 1991 एवं सचिव, खान, गोवा सरकार के आदेश दिनांक 22 मार्च 1999 को रद्द करवाने के लिये दायर की गई। इसके अलावा प्रार्थना यह थी कि पोडा तालुका में दो अलग-अलग गांवों में स्थित 34.68 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे के लिये प्रत्यर्थी के आवेदन को आवश्यक पट्टा विलेखों की प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निष्पादित करने के बाद मंजूरी दी जाये।

2. मुकदमे के उतार चढ़ाव वाले इतिहास का उल्लेख करने के बाद उच्च न्यायालय ने अन्ततः निम्नलिखित निर्देश दिये।

> "18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला 16 से अधिक वर्षो से लंबित है, क्योंकि प्रत्यर्थी मामले में अन्तग्रस्त मुख्य मुद्दे से स्वयं को दूर रखते हुए याची को न्यायालय की बार-बार शरण लेने को बाध्य करते रहे ताकि प्रत्यर्थी मामले में अन्तग्रस्त मुख्य मुद्दा समझे और उपरोक्त किये गये समस्त प्रेक्षण पर विचार करने के बाद हम प्रत्यर्थीगण को आज से छह हफ्ते के समय में याची के प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निर्देश देने के लिये विवश है। प्रत्यर्थीगण को उसमें की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले को निपटाने में

सावधानी रखनी चाहिये तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में रेकार्ड पर रखी गई समस्त सामग्रियों पर विचार करने के बाद मामले में शामिल मुख्य मुद्दे पर खुद को संबोधित करते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिये। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में हम प्रत्यर्थीगण द्वारा याची को अदा किये जाने वाला दस हजार का अनुकरणीय खर्चा अधिरोपित करने के लिये बाध्य है। खर्चा आज से छहः हफ्ते में अदा किया जायेगा। प्रत्यर्थी यहां जारी निर्देशों के अनुसार ऐसा आदेश पारित करने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्ार के समक्ष उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त शर्तो पर निर्णय अंतिम किया जाता है। ''

3. यद्यपि अपील के समर्थन में विभिन्न बिन्दु उठाये गये है, किंतु मिस्टर एच.एल.अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि स्टेट ऑफ गोआ एवं अन्य बनाम मैसर्स ए.एच.जफ्फर एण्ड सन्स (ए.आई.आर. 1995 एस.सी.333) में इस न्यायालय के समक्ष इन्हीं पक्षकारों के मध्य समान प्रकृति का एक विवाद था, जिसमें समान बिन्दु अन्तग्रस्त थे। अन्य बातों के अलावा निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

"3. अपील पर विस्तार से बहस की गई। श्री सिराज सैत ने निर्णय का समर्थन करने का परिश्रम एवं सटीकता के साथ प्रयास किया है। किंतु यह तय करना आवश्यक नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि आयुक्त का आदेश प्रशासनिक प्रकृति का होते हुए राज्य सरकार द्वारा पुर्नविलोकित किया जा सकता है, न ही यह निर्णित करना आवश्यक है कि क्या मंत्री किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते है जहां

पट्टे का अनुदान कानून द्वारा विनियमित होता है, क्योंकि हमारी राय में धारा 30 अधिनियम द्वारा पुनरीक्षण का उपचार प्रदत्त किया गया है। प्रत्यर्थी के पास केन्द्रीय सरकार, न कि उच्च न्यायालय की शरण लेना उचित मार्ग था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह आशंका जाहिर कि धारा नियम 54 खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा प्रदत्त मियाद अवधि समाप्त हो जाने से पुनरीक्षण ग्रहण नहीं किया जायेगा। तथापि उक्त नियम का परन्तुक पुनरीक्षण प्राधिकारी को देरी क्षमा करने के लिए सशक्त करता है, यदि वह संतुष्ट हो कि पुनरीक्षण पर्याप्त हैतु के कारण समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। चूंकि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के समक्ष निष्कपटतापूर्वक अपने उपचार का पीछा कर रहा था, यह देरी क्षमा करने तक के लिए पर्याप्त हैतु है और हमें विश्वास है कि यदि आज से चार सप्ताह के भीतर पुनरीक्षण दायर किया जाता है तो उसे समय सीमा से बाधित होने के आधार पर खारिज नहीं किया जायेगा। ''

4. तत्पश्चात् यह निवेदन किया गया कि जब मामला पक्षकारों के मध्य अन्तिमता को प्राप्त हो गया है तो उच्च न्यायालय को विवादित निर्देश नहीं देने चाहिए थे।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के काफी पहले आदेश दिनांक 30 जून, 2000 की तामील प्रत्यर्थीगण पर 03 जुलाई, 2000 को हो गयी थी और वे धारा 30, खान और खनिज (विकास और विनियमन) विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 (संक्षेप में अधिनियम) सपठित नियम 54, खनिज रियायत नियम, 1960 (संक्षेप में नियम) की

शर्तो के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पुनरीक्षण अधिकरण के समक्ष चले गये है। केन्द्रीय सरकार के पुनरीक्षण अधिकरण के अंतिम आदेश दिनांक 13.05.2002 द्वारा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में पहले से मामला तय किया जा चुका है।

6. यह टिप्पणी की जानी चाहिए कि विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 18.08.2000 को नोटिस जारी किये गये थे और स्थगन स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 30.03.2001 को अनुमति स्वीकार की गई तथा स्थगन जारी रखने के निर्देश दिये गये। प्रत्यर्थीगण उक्त दिनांक से बहुत पहले इस न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे थे। यह आश्चर्यजनक है कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण अधिकरण के समक्ष अपने उपचारों का अनुशीलन किया। निश्चित रूप से यह उचित और वांछनीय नहीं था। इस दुर्बलता को ओर बढ़ाने के लिये यह ध्यान देने की जरूरत है कि रिट याचिका जो यद्यपि सन् 1993 में दायर की गई थी, एक मार्च 2000 को निस्तारित हो चुकी थी और उस समय तक समान पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती मामला एक निश्चित तरीके से निर्णित हो चुका था। दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार अन्तपक्षकारों के मध्य निर्णय पारित हो जाता है व अंतिमता प्राप्त कर लेता है तो भिन्न मत नहीं लिया जा सकता। विशेष रूप से जब इस न्यायालय के आदेश से अंतिमता प्राप्त हो। 7. इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त करते है तथा जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है, पूर्ववर्ती निर्णय के अनुच्छेद 3 में निहित निर्देश लागु होंगे। वर्तमान विवाद में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2000 को नोटिस जारी करते वक्त एवं दिनांक 30 मार्च, 2001 को अनुमति स्वीकार करते वक्त दिये स्थगन आदेश के कारण उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

8. उपरोक्त सीमा तक खर्चो के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस. अपील आंशिक स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मधुसूदन शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।